

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा किए गये सराहनीय कार्यों का विवरण

आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत 05 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद, 01 अभियुक्त गिरफ्तार थाना बखिरा पुलिस द्वारा 05 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ एक अभियुक्त नाम पता रामेश्वर प्रजापति पुत्र प्रहलाद प्रजापति निवासी कुसमहा थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना बखिरा पर मु0अ0सं0 317/20 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 3314 द्वारा दुर्घटना में घायल व्यक्ति को पहुँचाया गया अस्पताल – पीआरवी 3314

को थाना मेंहदावल क्षेत्रान्तर्गत इवेन्ट संख्या 11361 से कालर नें मार्ग दुर्घटना में एक व्यक्ति के घायल होने के संबन्ध में सूचना दिया। सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा तत्काल 04 मिनट में घटनास्थल पर पहुँचकर दुर्घटना में घायल व्यक्ति को प्राइवेट वाहन से प्रा0स्व0 केन्द्र मेंहदावल भेजवाया गया तथा दुर्घटना के सम्बन्ध में थाना मेंहदावल को सूचित किया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहले पहुँचकर समय से पहुँचकर दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुँचाकर उसकी जान बचाई गयी, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

पीआरवी स्टाफ – मु0आ0 मंजूर हसन, मु0आ0 प्रभुनाथ राय, हो0चा0 पंकज मिश्रा।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 17 अभियुक्त गिरफ्तार

- थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- थाना महुली पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 04 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- थाना बखिरा पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 05 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 04 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 56 वाहनो से 51600 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया आज दिनांक 31-08-2020 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 56 वाहनो से 51600 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।